




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 446 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2001/आषाढ़ 11, 1923

No. 446]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2001/ASADHA 11, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2001

आय-कर

का. आ. 632( अ ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) जहां कुल आय में, आय-कर को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय कोई आय सम्मिलित नहीं है, प्ररूप 3 में होगा और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा;”

3. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 2क और 2घ का लोप किया जाएगा।

[ अधिसूचना सं. 200/2001/फा. सं. 142/4/2001—टी. पी. एल. ]

बत्सला झा यादव, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2001

**INCOME-TAX**

**S. O. 632 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 12, in sub-rule (1), in clause (b),—

(a) sub-clause (ii) shall be omitted;

(b) for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely :—

“(iii) where the total income does not include any income chargeable to income-tax under the head “Profits and gains of business or profession” be in Form No. 3 and be verified in the manner indicated therein;”

3. In Appendix-II to the Income-tax Rules, 1962, Form Nos. 2A and 2D shall be omitted.

[Notification No. 200/2001/F. No. 142/4/2001-TPL]  
BATSALA JHA YADAV, Under Secy.

**Note :—** The principal rules were published vide notification number S.O. 969(E) dated 26-3-1962 and were last amended vide notification number 199/2001 dated 2-7-2001.